


राजस्थान-सरकार
निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- निसंशि/संस्था-1/विविध/2014/ 561-624 दिनांक:- 02/1/2015

आदेश


विभागीय आदेश क्रमांक निसंशि/संस्था-1/विविध/2014/39638-78 दिनांक 23.12.2014 द्वारा माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.12.2014 की पालना में 65 प्रतिपक्षियों के मह दिसम्बर-2014 के वेतन से राशि 10,000/- की कटौति कर अपीलार्थियों में (श्री प्रदीप सेन, प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर एवं डॉ. मण्डन शर्मा, निदेशक संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर) समान रूप से (रु. 5000/- प्रत्येक) विभाजन कर भुगतान किये जाने के आदेश पारित किये गये थे।

उक्त आदेश में डॉ० मण्डन शर्मा निदेशक, संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर के खाता नं. 51031621159 के स्थान पर खाता नं. 51091621159 सही पढ़ा जावे।


(डॉ. मण्डन शर्मा)
निदेशक
संस्कृत शिक्षा राजस्थान
जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 समस्त प्राचार्य, आचार्य/शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय राजस्थान को भेजकर लेख है संलग्न सूची में आपके महाविद्यालय में कार्यरत प्रतिपक्षी के माह दिसम्बर 2014 के वेतन से की गई कटौति संबंधित कोषाधिकारी से व्यक्तिशः सम्पर्क कर उपरोक्तानुसार उल्लेखित खाते में जमा कराया जाना सुनिश्चित कर तत्काल अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करायें।
- 2 संबंधित कोषाधिकारी, कोष कार्यालय को भेजकर निवेदन है कि डॉ० मण्डन शर्मा निदेशक संस्कृत शिक्षा के हिस्से की राशि 5000/-रुपये उनके सही खाता संख्या 51091621159 में जमा कराने का श्रम करें।
- 3 विधि अनुभाग, निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- 4 संरक्षण पत्रिका।


(डॉ. मण्डन शर्मा)
निदेशक
संस्कृत शिक्षा राजस्थान
जयपुर